

(घ) और (ङ) असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में राज्य महिला आयोगों की स्थापना हाल ही में की गई है। जेकिन, इनमें से बहुत से आयोगों ने अपने अधिदेश के अनुसार महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचारों के मामलों की ओर ध्यान देने, गैर-सरकारी महिला संगठनों के साथ बैठकें करने, दहेज-विरोधी कार्यक्रमों के संबंध में जागृति शिविरों, कानूनी साक्षरता शिविरों इत्यादि का आयोजन करने, स्थातिक विश्लेषण करने के लिये जेलों, रिमांड-गृहों का दौरा करने तथा राज्य सरकारों को उपचारात्मक कारवाई के लिये सुझाव देने जैसे कार्य प्रारंभ कर दिये हैं।

महिलाओं के लिये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

592. श्री अनन्तराय देवशंकर बबे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिये अब तक कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, राज्य-वार, स्थापित किये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में कितनी महिलाओं को शिक्षित किया गया है;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में अन्य रोजगारीन्मुख कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं;

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में इन केन्द्रों को कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में ऐसे कितने नये केन्द्र खोले जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शंलजा) : (क) और (ख) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कहा जाने वाला केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि

समीक्षाओं ने यह दर्शाया कि यह अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो रहा था और लागत प्रभावी नहीं था। प्रौढ़ साक्षरता की पहुँच अब पूर्ण साक्षरता अभियानों के जरिये है जो कि क्षेत्र विशेष, समयबद्ध स्वयंसेवी आधारित और लागत प्रभावी हैं। तथापि उन कठिन और पिछड़े क्षेत्रों के लिये जहाँ ऐसे अभियान शीघ्र शुरू नहीं किये जा सकते, वहाँ अब एक संशोधित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षर कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। केन्द्र आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान 40,23,730 महिलाओं को साक्षर किया गया है।

(ग) अपने आर्थिक स्तर में सुधार तथा सामाजिक कल्याण के लिये विकासात्मक कार्यक्रम के प्रति जागृति के सृजन तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण एवं छोटे परिवार की प्रवृत्ति को आत्मसात करने के साथ-साथ शिक्षा-धियों को प्रदान की जाने वाली कार्यात्मक साक्षरता का आशय: पठन लेखन तथा गणना (रीडिंग, राइटिंग, और न्यूमेरेसी) इन 3 आर के माध्यम से साक्षरता और साक्षरता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

(घ) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 से 1992-93 के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई:-

(करोड़)

1990-91	1991-92	1992-93
32.75	17.30	1.37

(ङ) गुजरात में केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के सभी 19 जिलों को शामिल किया गया है।